संख्या-59/2025/1469/77-6-25/1666726

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक 31-07-2025**

विषयः उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत बृहद श्रेणी की 02 औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-151/पीआईयू/एसकेएस/2025-26 दिनांक 22.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत 02 औद्योगिक इकाईयो- मेसर्स डालमिया भारत सुगर एवं इंडस्ट्रीज लि0 तथा मे0 कजारिया सेरामिक्स लि0- को देय वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- उपर्युक्त 02 औद्योगिक इकाईयों को देय वित्तीय प्रोत्साहन की गणना निम्नवत है-

(1) मेसर्स डालमिया भारत सुगर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

क्र. सं.	मद	स्वीकार्य प्रोत्साहन राशि (करोड़ रूप. में)
1.	पहले वर्ष में मिलने वाली पूंजीगत सब्सिडी	15,34,95,430.27
2.	**कटौती**:भौतिक सत्यापन की लागत (आर.एफ.पी. के अनुसार पात्र पूंजी निवेश का सत्यापन, सकल ब्लॉक एवं जीसीएम सहित)	(2,18,300.00)
3.	**कटौती**: भौतिक सत्यापन की लागत	(1,77,000.00)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.	स्वीकार्य पूंजीगत सब्सिडी (पहले वर्ष के लिए)	**1,49,54,243.03**
5	पूंजीगत सब्सिडी की आगामी अन्य किश्तें	**1,53,49,543.03**

(2) मेसर्स कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड

क्र. सं.	**मद**	**स्वीकार्य लाभ ₹ करोड़ में**
ए	स्वीकार्य पूंजी निवेश	97,78,51,826.47
बी	औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति - 2022 की धारा 12.3.1 के तहत आधार पूंजी सब्सिडी (क्रमांक ए का 12%)	11,73,42,219.18
सी	प्रथम वर्ष हेतु जीसीएम	1
डी	वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि	10.08.2023
ई	प्रोत्साहन वितरण अवधि	10 years (10.08.2024 to 10.08.2034)
1.	**सकल प्रथम वर्ष पूंजी सब्सिडी**	**1,17,34,221.92**
2.	कम: भौतिक सत्यापन की लागत (आरएफपी खंड के अनुसार ईसीआई स त्यापन, सकल ब्लॉक एवं जीसीएम सहित)	(2,18,300.00)
3.	कम: भौतिक सत्यापन की लागत	(1,77,000.00)
4.	**प्रथम वर्ष हेतु स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी**	**1,13,38,921.92**

4- अत: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 एवं तदनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2023 दिनांक 14.04.2023 तथा पत्र संख्या-661/77-6-2025/6099/ 228/2023/1762681 दिनांक 16.04.2025 द्वारा निर्गत इम्पावर्ड कमेटी के कार्यवृत्त में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त प्रस्तर-3 में अंकित औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

प्रमाणित विवरण के साथ वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

भवदीय,

आलोक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 59/2025/1469(1)/77-6-25/1666726 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
5. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।